

BBC-14

M.Com. IVth Semester (Reg./Pvt./ATKT)

Examination, 2020

Spl.Gp. - Taxation

Paper - II

Business Taxation

[Maximum Marks : Reg. 85

Pvt. 100

नोट :- प्रत्येक खण्ड से पूछे गये प्रश्नों के अंक समान है। प्रत्येक खण्ड का उत्तर नवीन पृष्ठ से प्रारम्भ करें। समस्त प्रश्नों को अनिवार्यतः हल करें। उत्तर पुस्तिका की संख्या सामान्यतः 16 पृष्ठ से अधिक न हो। विद्यार्थी द्वारा स्वयं की हस्तलिपि में उत्तर लिखना अनिवार्य है। विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bubhopal.ac.in से प्राप्त करें। (प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सामान्यतः 250 शब्दों से अधिक न हों।)

Note :- All questions from each section carry equal marks. All questions are compulsory and answer limit are approximately 250 words. Start the answer of each section from new page. Maximum limit of pages of answer booklet are approximately 16 pages. Answer should be written by the student in his/her own handwriting mandatory. The first page of answersheet should be download by the student from university website www.bubhopal.ac.in is mandatory.

1. हिन्दू अविभाजित परिवार की कुल आय की गणना की प्रक्रिया को समझाइये ? कौन-कौन सी आयें परिवार की कुल आय में नहीं जोड़ी जाती हैं ?

Explain the procedure of assessment or computation of total income of Hindu undivided family which incomes are not included in the total income of HUF.

2. व्यक्तियों के समूह से क्या आशय है ? इनकी कर योग्य आय की गणना की विधि को समझाइये तथा देय कर की राशि की गणना उदाहरण सहित समझाइये।

What is Association of persons. Explain the procedure of computing taxable income of their. and also explain the computing tax payable amount with example.

3. कंपनी करदाता की दशा में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C से 80U तक दी जाने वाली प्रमुख 10 कटौतियों को समझाइये।
Discuss any 10 deductions under section 80C to 80U to a company assessee of income tax act 1961.

4. पुण्यार्थ प्रत्यासों की कर निर्धारण एवं कुल आय की गणना की विधि समझाइये।

Discuss the assessment method of tax and total income of charitable trust.

5. आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत दोहरे करारोपण संबंधी प्रमुख प्रावधानों को विस्तार से समझाइये।

Explain the main provisions of income tax act 1961 regarding to double taxation relief.

